कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 09.08.2019

थाना फेस 2

दिनांक 08.08.2019 को एनपीयू टीम, थाना फेस 2 पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को एनएसईजेड मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गयी है।

अभियुक्त का विवरण :–

नीरज पुत्र नौरंगी सिंह निवासी ग्राम बबराला थाना गुन्नौर जिला सम्भल हाज पता जैतपुर गोल चक्कर परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः–
एक मोटरसाइकिल अपाचे फर्जी नम्बर प्लेट नं0 यूपी 38 डी 6909, वास्तविक नं0 यूपी 20 एवी 1566।

अभियोग का विवरण –
1.मु0अ0स0 625/2019 धारा 482/414 भादवि थाना फेस 2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना फेस–3

दिनांक 08.08.2019 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा मामूरा सर्विस रोड़ पार्क के सामने एक शातिर शराब तस्कर अमित पुत्र सुभाष नि0 ग्राम पाली थाना बागपत जिला बागपत हाल निवासी ग्राम बाजीपुर शिव मंदिर वाली गली सै0 137 नोएडा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पेटी (कुल 1200 पौव्वे) असली सन्तरा हरियाणा मार्का शराब व एक कार सैन्ट्रो नं0 डीएल 3 सीसीए 5039 बरामद हुई । अवैध शराब के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 952/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरणः–
अमित पुत्र सुभाष नि0 ग्राम पाली थाना बागपत जिला बागपत हाल निवासी ग्राम बाजीपुर शिव मंदिर वाली गली सै0 137 नोएडा

बरामदगी का विवरणः–
1. 5 पेटी (कुल 1200 पौव्वे) असली सन्तरा हरियाणा मार्का शराब बरामद
2. एक कार सैन्ट्रो नं0 डीएल 3 सीसीए 5039

थाना जेवर

दिनांक 09.08.19 को थाना जेवर पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त 1. जाओ लाल पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी श्याम नगर थाना जेवर 2. रवि कुमार पुत्र रामलाल सिंह निवासी श्याम नगर थाना जेवर 3. देव कुमार पुत्र गिरिराज

निवासी श्याम नगर थाना जेवर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण के कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल फोन बरामद किये गये है।

अभियुक्त का विवरण–

1. जाओ लाल पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी श्याम नगर थाना जेवर।
2. रवि कुमार पुत्र रामलाल सिंह निवासी श्याम नगर थाना जेवर।
3. देव कुमार पुत्र गिरिराज निवासी श्याम नगर थाना जेवर।

बरामदगी का विवरणः–

चोरी के 05 मोबाइल फोन

अभियोग का विवरण–

मु0अ0स0 205/19 धारा 380 457 आईपीसी थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना दनकौर

दिनांक 09.08.19 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा खेरली नहर तिराहा हल्का चौकी मण्डी श्यामनगर से 3 अभियुक्त 1. रविन्द्र पुत्र कुवरपाल नि0 प्रेमपुरी थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर 2. छोटू पुत्र प्रमोद नि0 झुग्गी झोपडी कासना थाना कासना गौतमबुद्धनगर मूल निवासी टीकरी थाना अतरौली अलीगढ 3. अमित पुत्र झुमरू नि0 म0न0 238 गली न0 5 सी0 ब्लाक उद्योग नगर थाना पीरागढी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 02 अदद मो0सा0 व 03 छुरे नाजायज बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः–

1. रविन्द्र पुत्र कुवरपाल नि0 प्रेमपुरी थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।
2. छोटू पुत्र प्रमोद नि0 झुग्गी झोपडी कासना थाना कासना गौतमबुद्धनगर मूल निवासी टीकरी थाना अतरौली अलीगढ।
3. अमित पुत्र झुमरू नि0 म0न0 238 गली न0 5 सी0 ब्लाक उद्योग नगर थाना पीरागढी दिल्ली।

बरामदगी का विवरण

1. मोटरसाइकिल स्पेण्डर न0 डीएल 4 एससीटी 1873
2. मोटरसाइकिल स्पेण्डर न0 डीलए 4 एससीयू 1134
3. तीन छुरे नाजायज

पंजीकृत अभियोग का विवरणः–

1. मु0अ0स0 524/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 525/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 526/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0 527/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना दादरी

दिनांक 09.08.2019 को थाना दादरी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित अभियुक्त अन्नू उर्फ अरूण पुत्र महीपाल नि0 ग्राम गढी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.5.19 को ग्राम गढी कस्बा दादरी में अपने साथियों के साथ मिलकर रामटेक कटारिया की हत्या कर दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0स0 542/19 धारा 147/148/149/302/120 बी भादवि में पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित 05 अभियुक्त

बलेश्वर, राजा उर्फ कपिल, नित्ते उर्फ नितेश तथा सुमित को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा दो अन्य अभियुक्त अभय कटारिया व जयभगवान द्वारा पुलिस के दबाव मे आज मा0 न्यायालय मे आत्म समर्पण कर दिया है।

अभियुक्त का नामः–
अन्नू उर्फ अरूण पुत्र महीपाल नि0 ग्राम गढी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरणः–

मु0अ0सं0 542/19 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

थाना सैक्टर 49

दिनांक 08.08.2019 की शाम को थाना सैक्टर 49 पुलिस द्वारा बरौला टी प्वाइंट से नाबालिग को अपहरण कर ले जाने वाले अभियुक्त रवि पुत्र बिजेन्द्र निवासी जाटव वाली गली ग्राम बरौला थाना सैक्टर 49 नोएडा गौ0बु0नगर को गिरफ्तार किया गया है एवं अपहृता को बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 8.8.2019 की प्रातः को मु0अ0सं0 910/2019 धारा धारा 363/366/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। अपहृता के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियोग मे 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः–
रवि पुत्र बिजेन्द्र निवासी जाटव वाली गली ग्राम बरौला थाना सैक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः–
मु0अ0सं0 910/2019 धारा 363/506/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 थाना सैक्टर 49 जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना सैक्टर 49

दिनांक 09.08.2019 को थाना सै0 49 पुलिस द्वारा सै0 72 नोएडा के चौराहे से अभियुक्त 1. अन्नु पुत्र सरजीत निवासी ग्राम सरफाबाद ' को मय कार के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभि0 के कब्जे से अंग्रेजी व देशी शराब (देशी संतरा व क्रेजी रोमियो फोर सेल इन अरुणाचल प्रदेश ओनलि) की कुल 23 पेटी शराब बरामद की गई तथा एक अन्य अभियुक्त कालू पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम सरफाबाद थाना सै0 49 नोएडा मौके से फरार हो गया है। फरार अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभि0 अन्नू उपरोक्त शातिर अपराधी है एंव पूर्व में माह दिसम्बर 2018 में थाना सै0 49 नोएडा क्षेत्र से मदर डेयर से हुई कैश लूट की घटना में संलिप्त रहा है। जमानत पर छुटने के बाद से ही वह हरियाणा राज्य से अवैध शराब तसकरी कर लाने में संलिप्त हो गया था।

नाम पता अभियुक्तः–
1. अन्नु पुत्र सरजीत निवासी ग्राम सरफाबाद , थाना सै049 नोएडा ,गौ0बु0नगर
2. (फरार अभियुक्त) कालू पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम सरफाबाद थाना सै049 नोएडा, गौ0बु0नगर

आपराधिक इतिहासः–
मु0अ0सं0 1497/18 धारा 392/411 भादवि0 थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर
मु0अ0सं0 0916/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुधनगर

बरामदगी का विवरण–
1. 15 पेटी असली संतरा देशी शराब
2. 08 पेटी अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो
3. कार सेवरेलट क्रूज रजि न0 डीएल 10 सीबी 5031